भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH —1— U 741703

दस्तावेज ट्रस्ट (न्यास)

श्रीमती रचना, उमेश, अवधेश, कृष्ण मोहन, बृजेश, पियुस, ओम प्रकाश द्वारा ट्रस्ट की स्थापना कर पंजीकरण हेतु प्रस्तुत।

ट्रस्ट का नाम — सावित्री विश्वनाथ शिक्षा प्रसार ट्रस्ट (न्यास)

पता — हाजीपुर

पोस्ट — कल्यानपुर

थाना — घोसी

परगना — घोसी

तहसील — घोसी

जिला — मऊ

मुख्यालय — पजीकृत कार्यालय साविली विश्वनाथ शिक्षा प्रसार ट्रस्ट (न्यास) हाजीपुर, परगना, घोसी जनपद–मऊ (उ0 प्र0) आवश्यकतानुसार उपरोक्त मुख्यालय को अन्य उचित जगह समयानुसार स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य — ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य भिन्न – भिन्न स्थान पर शिक्षण संस्थयें यानी प्राथमिक विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक विद्यालयव चिकित्सा शिक्षा संस्थान आदि की स्थापना कर ग्रामीण अंचल के मध्यम व कमजोर वर्ग के साथ – साथ दलितों को उनके इच्छानुसार शिक्षा मुहैया करना है। प्रौढ़ शिक्षण, व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा व विभिन्न खेलों का देश – प्रदेश के कोने – कोने में प्रकाश फैले, इसके लिए हर सम्भव उपाय करना/स्थापना करना ट्रस्ट का लक्ष्य है।

उमेश पाण्डेय

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2026.05.20 17:54:44 +05:30
Reason: reason
Location: location

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये Rs. 100
रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
U 741704

कम शुल्क में तथा पात्र बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिये ट्रस्ट हर समय प्रयत्नशील रहेगा। ट्रस्ट भूमि भवन व पूँजी की व्यवस्था कर देश प्रदेश के किसी भी स्थान पर शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करके शिक्षा के माध्यम से निर्बल, मध्यम व दलितों को आत्मनिर्भर कर उनके जीवन स्तर को उँचा उठायेगा।

ट्रस्ट दैवीय आपदा में जिला व राज्य प्रशासन का समय साधन से समय – समय पर आवश्यकतानुसार सहायता करेगा। सरकारी, अर्द्ध सरकारी भूमि पर जिला व राज्य प्रशासन से समन्वय स्थापित कर कल्याणकारी योजनाओं का भी संचालन करेगा। किसी निजि भूमि को क्रय विक्रय करना तथा आवश्यकतानुसार इस ट्रस्ट से संचालित संस्था को लीज (पट्टा) पर देना।

ट्रस्ट की विधिक प्रतिबद्धता–

सावित्री विश्वनाथ शिक्षा प्रसार ट्रस्ट पंजीकृत अधिनियम 21.1960 अन्तर्गत भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अन्तर्गत निस्पादित किया जा रहा है। इस न्यास पर भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के समस्तधारायें/नियम/उपनियम लागू होंगे। जो इस न्यास के संचालन हेतु आवश्यक हैं। जो न्यायिक विधा में व्यवहृत व मान्य है। इस न्यास उक्त नियमों/उपनियमों के अनुपालन में प्रतिबद्ध है।

उमेश पाण्डेय

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH —4— U 741706

पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तब्य :

मुख्य संरक्षक ट्रस्टी :

1– संरक्षक ट्रस्टी (न्यास) के सभी शाखाओं एवं उपशाखाओं तथा जुड़ी हुई संस्था के सदस्यों को आवश्यक निर्देश देगा।

2– संरक्षक द्वारा ट्रस्ट (न्यास) के कार्यहित में लिये जाने वाले निर्णय सर्व मान्य होंगे।

3– संस्था के साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति के सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।

4– किसी भी विचारणीय विषय पर समानगत होने पर एक निर्णायक मत देना।

5– आयश्यक कागजात पर हस्ताक्षर करना एवं कार्यन्वित करना।

6– ट्रस्ट (न्यास) के विकास से संबंधित कार्यक्रमों का परामर्श देना एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करना।

7– ट्रस्ट (न्यास) बाह्य एवं अन्तर्गत नीतियों का निर्धारण करना एवं ट्रस्ट (न्यास) के विकास के लिखे तमाम संसाधन इकट्ठा करना व ट्रस्ट (न्यास) के अन्य पदाधिकारियों एवं सदस्यों को तत्संबंधित कार्यवाही से अवगत करना, मुख्य संरक्षक ट्रस्टी का कर्तब्य होगा।

8– मुख्य संरक्षक ट्रस्टी संस्थाओं के लिये भूमि भवन का क्रय – विक्रय लीज (पट्टा) करना एवं वादों का निस्तारण की पैरवी करेगा।

उमेश पाण्डेय

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

U 741707

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

महासचिव संस्थापक ट्रस्टी–

1– मुख्य संरक्षक ट्रस्टी की अनुपस्थिति में उनके कार्य का संपादन महासचिव संस्थापक ट्रस्टी अपने हस्तक्षर से करेगा तथा मुख्य संरक्षक ट्रस्टी को अवगत करायेगा।

2– बैठक बुलाना एवं सूचना देना।

3– ट्रस्ट (न्यास) की उन्नति के लिये निर्देश देना।

4– नये सदस्यों के लिये रसीद जारी करना।

5– ट्रस्ट (न्यास) में नये सदस्यों को सदस्य बनाने निष्कासन करने, एवं पदोन्नत आदि का पूर्ण अधिकार सचिव संस्थापक ट्रस्टी को होगा।

6– ट्रस्ट (न्यास) के उन्नति हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर योजना प्रस्तुत करना तथा ट्रस्ट (न्यास) के हित में समस्त प्रकार के कार्यों का संपादन करना।

7– अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार होंगे।

8– ट्रस्ट (न्यास) में नये सदस्यों को सदस्य बनाने के लिये संरक्षक संस्थापक ट्रस्टी एवं महासचिव संस्थापक दोनों के सहमति से सुनिश्चित करना तथा सम्पूर्ण सदस्यों को इसकी जानकारी देना।

सदस्य ट्रस्टी:

साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निर्देश पर बैठक में भाग लेना एंव ट्रस्ट के सर्वमान्यहित में निर्णय लेना एवं ट्रस्ट की योजनाओं में स्वार्थ रहित भाव से सहयोग प्रदान करना।

उमेश पाण्डेय

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 741708

ट्रस्ट (न्यास) के अंग : ट्रस्ट (न्यास) निम्नलिखित दो वर्ग की होगी।

1– साधारण सभा 2– प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट

साधारण सभा :

गठन : साधारण सभा का गठन ट्रस्ट (न्यास) के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।

बैठकें : 1. सामान्य बैठकें ट्रस्ट (न्यास) के साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार मार्च माह में होगी।

2. विशेष बैठक आवश्यकता पड़ने पर दो तिहाई सदस्यों की लिखित मांग पर साधारण सभा बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि : साधारण स्थिति में प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट समिति का महासचिव संस्थापक ट्रस्टी एक सप्ताह पूर्व बैठक की सूचना देकर बैठक बुला सकता है। विशेष परिस्थिति में 24 घन्टे की सूचना पर साधारण सभा ट्रस्टीयों की बैठक बुलाई जा सकती है।

गणपूर्ति : बैठक में सदस्यों की गणपूर्ति का कोरम उपस्थित होना आवश्यक है। यह गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन : साधारण सभा विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार दिसम्बर माह में होगा।

ट्रस्ट के साधारण सभा के कर्तव्य : साधारण सभा ट्रस्टियों के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे।

अ. वार्षिक आय – व्यय चेक करना।

उमेश पाण्डेय

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 741709

ब. ट्रस्ट (न्यास) के विकास हेतु अगले वर्ष के लिये योजना एवं बजट निश्चित करना।

स. प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के अधिकारियों एवं सदस्यों का चयन करना।

द. ट्रस्ट (न्यास) के विकास के लिये समय – समय पर उनके कार्य को करना जो समिति के हित में हो।

ट्रस्ट (न्यास) की प्रबन्धकारिणी समिति :

गठन :	साधारण सभा के सदस्यों द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा। जिसमें एक संरक्षक संस्थापक ट्रस्टी एक महासचिव संस्थापक ट्रस्टी एवं सदस्य ट्रस्टी चार होंगे।
बैठकें : सामान्य :	सामान्य स्थिति में ट्रस्ट (न्यास) का महासचिव संस्थापक ट्रस्टी प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी के मुख्य संरक्षक संस्थापक ट्रस्टी की अनुमती से बैठक बुलायेगा।
विशेष :	विशेष बैठक प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी का 2/3 सदस्यों की मांग पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति को महासचिव बुलायेगा।
सूचना अवधि :	साधारण स्थिति में प्रबन्धक ट्रस्टी समिति महासचिव संस्थापक ट्रस्टी एक सप्ताह की सूचना पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति की बैठक बुला सकता है। विशेष बैठक के लिये प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का महासचिव संस्थापक ट्रस्टी 24 घन्टे की सूचना पर बैठक बुला सकता है। सूचना दस्ती, अण्डर पोस्टिंग अथवा समाचार पत्र द्वारा दी जा सकती है।

उमेश पाण्डेय

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 741710

गणपूर्ति : प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के समस्त बैठकों की गणपूर्ति समिति के सभी सदस्यों के 2/3 उपस्थिति में पूर्ण मानी जायेगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति : यदि कोई सदस्य कार्यालय के अस्वाभाविक निधन या त्याग पत्र या दिवालीयापन या पागल हो जाने पर ट्रस्ट (न्यास) से निष्कासित होने पर उसके स्थान पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी सदस्यों में से सदस्य मनोनित कर सकता है।

प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के कर्तब्य : प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निम्नलिखित कर्तब्य होंगे–

1– बैठक बुलाना अथवा बैठक विसर्जित करना।

2– ट्रस्ट (न्यास) का प्रबन्धन करना अथवा ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं का प्रबन्धन करना ।

3– ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित कर्मचारियों की नियुक्ति करना।

4– आय – व्यय का ब्यौरा रखना तथा उसे वार्षिक अधिवेशन के समय साधारण ट्रस्टी सभा के सामने प्रस्तुत करना।

21– ट्रस्ट (न्यास) के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :–

समय – समय परिस्थितियों के अनुसार प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास) नियमावली में संशोधन कर सकती है। नियमावली की कटिंग अशुद्धि, संशोधन छूटे हुए शब्द अथवा वाक्य को बनाने का अधिकार प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास) को होगा।

22– ट्रस्ट (न्यास) के कोष :–

ट्रस्ट (न्यास) के उद्देश्य के पूर्ति के लिये कोष की स्थपना की जायेगी। जो किसी राष्ट्रकृति बैंक/डाक घर में रखा जायेगा। जिसका संचालन संरक्षक संस्थापक ट्रस्टी महासचिव संस्थापक ट्रस्टी संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

23– ट्रस्ट (न्यास) के आय – व्यय का लेखा परीक्षण :–

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार किसी भी योग्य आडिटर से संस्था के आय – व्यय का लेखा परीक्षण कराया जायेगा।

उमेश पाण्डेय

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 741711

24– ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तर दायित्व :–

ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरूद्ध समस्त अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तर दायित्व प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति पर होगा। जो किसी पदाधिकारी अथवा सदस्य को इस कार्य के निमित नियुक्ति कर सकती है।

25– ट्रस्ट (न्यास) के अभिलेख :–

ट्रस्ट (न्यास) के समस्त अभिलेख जैसे सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, कैश बुक आदि कोषाध्यक्ष संस्थागत ट्रस्टी के पास होंगे।

26– सावित्री विश्वनाथ शिक्षा प्रसार ट्रस्ट (न्यास) के पास इस सदस्यता शुल्क के माध्यम से 50,000/ (पचास हजार) प्रारम्भिक कार्य हेतु उपलब्ध है।

27– ट्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही ट्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित समपत्ति के निस्तारण की कार्यवाही इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत की जायेगी।

उमेश पाण्डेय

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 741712

29–ए. हिन्दी, संस्कृत, उर्दू तथा अन्य प्राच्य भाषाओं से प्राइमरी जूनियर, हाई स्कूल, इण्टर कालेज तथा डिग्री कालेज, स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं विधि महाविद्यालय की स्थापना करना व उसका संचालन करना।

29–बी. संस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिये 12ए, 80जी, 10/23 व 35 एक्ट के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं को प्रदान करना।

29–सी. सरकार द्वारा चलाई जाने वाली समस्त परियोजना को जनता के हित में संचालित करना एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले तमाम पिड़ित लोगों को लाभान्वित करना आदि।

उमेश पाण्डेय

दिनांक– 18-9-2008

दस्तखत गवाह–1- सतीशचन्द्र पाण्डेय
पुत्र श्री प्रेमशंकर पाण्डेय
सा० डटेरा बुजुर्ग
त० मधुबन-मऊ

2- रामभवन चौहान
पुत्र- मक्खन चौहान
सा०- कारीसाथ
त०- घोसी- मऊ

मशविराकर्ता–
सन्तोष सिंह
(एडवोकेट)
घोसी, मऊ

STAMP
Sub Treasury
Ghosi-Mau
STO.

09 SEP 2008

आज दिनांक 10/9/08 को रजिस्ट्री सं. IV
बही सं. I 345-346
पृष्ठ क्रम सं. 29 पर अंकित किया गया

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
का हस्ताक्षर